जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (ऐसे.एम.)/2012/डी– 302 दिनांक: 14/2/13

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 का कार्यवाही विविरण

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	175.1	कार्यकारी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 04.10.12 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 04.10.12 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2	175.2	कार्यकारी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 04.10.12 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 04.10.12 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3	175.3	सुश्री अपाला मिश्रा, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ को वेतन भुगतान की स्वीकृति बाबत्।	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प–2(10)नविवि/।।/09 दिनांक 13.08.09 के द्वारा सुश्री अपाला मिश्रा, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्राधिकरण में संविदा आधार पर नियुक्त थी। समय–समय पर नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इनकी संविदा अवधि बढाई गई। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प–2(10)नविवि/।।/09 दिनांक 11.05.2011 द्वारा इनकी संविदा अवधि दिनांक 30.09.11 तक बढाई गई। इसके पश्चात इन्हें सेवा विस्तार न देने एवं शीघ्र से शीघ्र इनका अन्य विकल्प तलाशने का मौखिक निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया। किन्तु अन्य विकल्प मिलने तक इनकी सेवाओं की जविप्रा को नितान्त आवश्यकता होने के कारण इनसे कार्य लिया जाता रहा अन्यथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं/कार्य प्रभावित हो सकते थे। इनको सेवा विस्तार लिखित में देने से जविप्रा को इन्हें स्थाई रूप से सेवा में रखने का दायित्व पैदा हो सकता था। इस आशंका के कारण लिखित में सेवा विस्तार न देकर अन्य विकल्प न मिलने तक इनकी सेवाएं ली गई तथा विकल्प मिलते ही इनकी सेवाएं रोक दी गई। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श पश्चात सुश्री अपाला मिश्रा नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के द्वारा बिना स्वीकृति के प्राधिकरण में दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 28.08.2012 तक दी गई सेवाओं की कार्योत्तर स्वीकृति तथा इस अवधि के लिए रूपये 16,700/– मासिक दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस निर्णय की पुष्टि राज्य सरकार से करवाने के निर्देश प्रदान किए गए।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
4	175.4	श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, पटवारी द्वारा प्राधिकरण से अनुमोदित अस्पताल नारायणा हृदयालय में कराये गये इलाज पर की गई 25 प्रतिशत कटौती राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, पटवारी को नारायणा हृदयालय अस्पताल में कराये गये इलाज पर हुई कुल चिकित्सा व्यय में से प्राधिकरण द्वारा काटी गई 25 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5	175.5	कनिष्ठ सहायक के पद से आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसुची संख्या-VIII सामान्य सेवायें के प्रावधानों में शिथिलता देने बाबत्। (श्री हरिशरण निगम, श्री ताज मोहम्मद, श्री रामचरण सैनी, श्री सुरेश चन्द्र उप्रेती)	विचार विमर्श पश्चात् कनिष्ठ सहायक के पद से आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसुची संख्या-VIII सामान्य सेवायें में आशुलिपिक संवर्ग में 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये प्राधिकरण में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों श्री हरिशरण निगम, श्री ताज मोहम्मद, श्री रामचरण सैनी, श्री सुरेश चन्द्र उप्रेती द्वारा भाषा विभाग से आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
6	175.6	श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व.श्री बाबूलाल मीणा, चालक द्वारा अपने पति स्व. श्री बाबूलाल मीणा, चालक द्वारा प्राधिकरण कार्यो हेतु ली गई अग्रिम बकाया राशि पर लगायी गई ब्याज राशि रूपये 2,57,994.16/- को माफ किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल मीणा, चालक द्वारा अपने पति स्व. श्री बाबूलाल मीणा, चालक द्वारा प्राधिकरण कार्यो हेतु ली गई अग्रिम बकाया राशि पर लगायी गई ब्याज राशि रूपये 2,57,994.16/- को माफ किऐ जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
7	175.7	आवास सं. एस एफ-132 बक्सावाला आवासीय योजना का नियमितीकरण करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् आवास सं. एस एफ-132 बक्सावाला आवासीय योजना की मांग राशि जमा में 12 वर्ष से अधिक का विलम्ब होने के कारण नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-14
8	175.8	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 09.10.2012 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 09.10.2012 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
9	175.9	जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार के भूखण्ड संख्या बी-469 निरस्त करने अथवा नियमितीकरण करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवासीय योजना अभिनव विहार के भूखण्ड संख्या बी-469 में विलम्ब अवधी 3 वर्ष से अधिक है अतः प्रकरण नियमितीकरण हेतु विस्तृत सूचना के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ति की जानकारी भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन-14
10	175.10	श्री पेशुमल पुत्र श्री तोलाराम को मुआवजा राशि दिलाये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि श्री पेशुमल पुत्र श्री तोलाराम को मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में कार्यकारी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 23.08.2011 के निर्णयानुसार गठित 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मृतक तोलाराम के विधिक वारिशान को राशि 8000/-(अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावें।	उपायुक्त जोन-2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11	175.11	जविप्रा की आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड संख्या ई–176 के निरस्त करने अथवा नियमितीकरण करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् आवासीय योजना हरित विहार के भूखण्ड संख्या ई–176 की नजराना राशि 1 वर्ष 7 माह विलम्ब को ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल करते हुये नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 17 (5)(ii) के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावे।	उपायुक्त जोन–14
12	175.12	श्रीमती अनुजा सिंह, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ को वेतन भुगतान की स्वीकृति बाबत्।	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प–2(10)नविवि/II/09 दिनांक 13.08.09 के द्वारा श्रीमती अनुजा सिंह, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्राधिकरण में संविदा आधार पर नियुक्त थीं। समय–समय पर नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इनकी संविदा अवधि बढ़ाई गई। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प–2(10)नविवि/II/09 दिनांक 11.05.2011 द्वारा इनकी संविदा अवधि दिनांक 30.09.11 तक बढ़ाई गई। इसके पश्चात इन्हें सेवा विस्तार न देने एवं शीघ्र से शीघ्र इनका अन्य विकल्प तलाशने का मौखिक निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया। किन्तु अन्य विकल्प मिलने तक इनकी सेवाओं की जविप्रा को नितान्त आवश्यकता होने के कारण इनसे कार्य लिया जाता रहा अन्यथा गई महत्वपर्ण परियोजनाएं/कार्य प्रभावित हो सकते थे। इनको सेवा विस्तार लिखित में देने से जविप्रा को इन्हें स्थाई रूप से सेवा में रखने का दायित्व पैदा हो सकता था। इस आशंका के कारण लिखित में सेवा विस्तार न देकर अन्य विकल्प न मिलने तक इनकी सेवाएं ली गई तथा विकल्प मिलते ही इनकी सेवाएं रोक दी गई। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श पश्चात् श्रीमती अनुजा सिंह, नगर नियोजक एवं विषय विशेषज्ञ के द्वारा बिना स्वीकृति के प्राधिकरण में दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 28.08.2012 तक दी गई सेवाओं की कार्योत्तर स्वीकृति तथा इस अवधि के लिए रूपये 16,700/– मासिक दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस निर्णय की पुष्टि राज्य सरकार से करवाने के निर्देश प्रदान किए गए।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
13	175.13	मैसर्स एलीजेन्ट कन्सलटेन्ट द्वारा दोलतपुरा व खौरामीणा ग्राम में फार्म हाउस योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा को दिए गए आश्वासन के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि मै. एलीजेन्ट कन्सलटेन्ट द्वारा किये गये सर्वे कि शेष 50 प्रतिशत राशि भुगतान से पूर्व निदेशक आयोजना द्वारा किये गये कार्य को प्रमाणित किया जावे तथा निदेशक (वित्त) द्वारा दिये जाने वाले शेष भुगतान की औचित्यता को प्रमाणित कर शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही की जावे।	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी)
14	175.14	रजत विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–184 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् रजत विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–184 की नजराना राशि 721 दिवस विलम्ब से जमा होने के	उपायुक्त जोन–12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			कारण ब्याज एवं पेनल्टी की राशि वसूल करते हुये नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 17 (5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावे।	
15	175.15	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों /कर्मचारियों को वर्ष 2011–12 के लिये बोनस/ एक्सग्रेसिया एवं दीपावली उपहार, 2012 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 08.11.2012 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/ कर्मचारियों को वर्ष 2011–12 के लिये बोनस/एक्सग्रेसया एवं दीपावली उपहार, 2012 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 08.11.2012 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
16	175.16	प्राधिकरण हेतु 8 नये वाहन क्रय करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कुछ वाहनों को पूर्व में नीलाम किये जाने के कारण प्राधिकरण के उपयोग हेतु 8 नये वाहन क्रय करने पर कुल राशि रूपये 50 लाख के व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण के उपयोग हेतु नई बस खरीदने के संबंध में भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किए गऐ।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
17	175.17	राजस्व ग्राम अजबगढ उर्फ हाडीकाबास, तहसील–जमवारामगढ़ आवासीय योजना के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना को स्वीकृत करने से पूर्व इस बाबत परिक्षण कर लिया जावे कि योजना के विकास पर कितनी राशि के व्यय का अनुमान है तथा योजना की External Develpment Cost (EDC) कितना होगा एवं इसके Recovery का भी आकलन किया जावे। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत Feasibility Report के साथ ही आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जावें।	उपायुक्त जोन–13
18	175.18	Ex-Post facto approval for extending amount and period of rate contract for work "Bituminous and other works on different road of Zone-10 area, JDA, Jaipur."	मैसर्स लटाला कन्सट्रक्शन को जोन–10 के क्षेत्र में बी.टी. कार्य हेतु 1.91 करोड़ रूपए की दर संविदा स्वीकृत की गई थी जिसके तहत कुछ कार्य करवाए गए थे। वर्षाकाल में दिल्ली जयपुर रोड अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी। जयपुर शहर के प्रवेश हेतु मुख्य सड़क होने के कारण उक्त रोड की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए थे। चूंकि दिल्ली रोड प्रवेश द्वार है तथा टूरिज्म की दृष्टि से उक्त मरम्मत कार्य करवाया जाना आवश्यक था एवं दिल्ली रोड पर किए जाने वाले मरम्मत कार्यों की अनुमानित लागत 3.75 करोड़ रूपए अधिक थी, अतः 5.00 करोड़ रूपए की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। नई निविदा किए जाने में अधिक समय लगने एवं अधिक दरें प्राप्त होने की सम्भावना थी। दर संविदा से कार्य कराने पर 5.00 करोड़ रूपए के कार्य की दर संविदा भी पूर्ण हो जाती थी। इसलिए विद्यमान दर संविदा में ही कार्य करवाना उचित समझा गया तथा प्रकरण सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं कार्य प्राथमिकता होने के कारण करवाया गया। इसके अलावा अपेक्स सर्किल से जगतपुरा एवं इंडुनी	Executive Engineer Zone 10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			फाटक जहां पर आर.वी.पी.एन.एल. के द्वारा ओपन कट मैथड से भूमिगत केबल बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त रोड का कार्य भी उसी दर संविदा के तहत किया जाना प्रस्तावित था। जोन में उक्त कार्य की दर संविदा बी.एस.आर. 2010 पर 28.10 प्रतिशत अधिक प्रीमियन पर मैसर्स लटाला कंस्ट्रक्शन को 1.91 करोड़ का सहमति पत्र जारी किया हुआ है। वर्तमान में जविप्रा में समकक्ष कार्यों की दरें बी.एस.आर. 2010 पर लगभग 35 प्रतिशत अधिक टेण्डर प्रीमियम पर स्वीकृत की गई है। अतः मैसर्स लटाला की दरें उचित हैं। जविप्रा हित में प्रस्तावित कार्य उक्त दर संविदा के अन्तर्गत कार्य करवाए जाने हेतु आगामी कार्यकारी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में माननीय आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Latala Const. Co. को "Bituminous and other works on different road of Zone-10 area, JDA, Jaipur." हेतु जारी रेट कॉन्ट्रेक्ट रूपये 1,91,96,515.17 पैसे के स्थान पर रूपये 5.00 करोड़ तथा कार्यावधि दिनांक 28.02.13 से 30.06.13 तक बढाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
19	175.19	Agenda Regarding permission of extension of ARC Amount for the work of Strengthening and widening of road from Ajmer Road (NH-8) to Manipal University Via Dhami Kalan Zone-12, JDA, Jaipur under existing ARC Renewal of roads zone-12 Area.	प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मनीपाल विश्वविद्यालय परिसर तक सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में उक्त सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में है तथा सड़क की चौड़ाई 3 मीटर में ही उपलब्ध है। उक्त सड़क जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को ग्राम दहमीकलां, हिम्मतपुरा, बेगस तथा सिरसी रोड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है तथा मनीपाल विश्वविद्यालय इसी सड़क पर स्थित है। इस कारण उक्त सड़क पर यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है। मनीपाल विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की संख्या के आगामी सेशन से यातायात दबाव बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सड़क की चौड़ाई दो लेन (7.50 मीटर) तक बढ़ाए जाने एवं सड़क सुदृढ़ीकरण हेतु 180.54 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रस्ताव का माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति पश्चात प्रोजेक्ट वर्क्स कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया था। जोन में रिनेवल कार्य की दर संविदा हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 23 प्रतिशत अधिक टेण्डर प्रीमियम पर मैसर्स लालचन्द तिवाड़ी को राशि 2,45,94,322.01 रू. का सहमति	Executive Engineer Zone 12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			पत्र जारी किया गया था। उक्त दर संविदा के अन्तर्गत 207.01 लाख रूपए की राशि के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। प्रस्तावित कार्य की राशि 180.54 लाख रूपए है। अतः प्रस्तावित कार्य को उक्त दर संविदा पर मैसर्स लालचन्द तिवाड़ी द्वारा करवाए जाने पर उक्त दर संविदा की राशि 387.55 लाख रूपए हो जाती है, जिसकी स्वीकृति की शक्ति कार्यकारी समिति को प्रदत्त है। उक्त दर संविदा के अन्तर्गत मैसर्स लालचन्द तिवाड़ी प्रस्तावित कार्य को करने हेतु सहमत हैं। वर्तमान में जविप्रा में समकक्ष कार्यों की दरे बी.एस.आर. 2010 पर लगभग 35 प्रतिशत अधिक टेण्डर प्रीमियम पर स्वीकृत की गई हैं। जविप्रा हित में प्रस्तावित कार्य उक्त दर संविदा के अन्तर्गत करवाये जाने हेतु आगामी कार्यकारी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार "Strengthening and widening of road from Ajmer Road (NH-8) to Manipal University Via Dhami Kalan Zone-12, JDA, Jaipur under existing ARC Renewal of roads zone-12 Area." कार्य हेतु M/s Lal Chand Tiwari को रूपये 2,45,94,322.01 पैसे से 3,87,55,138.50 पैसे बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
20	175.20	Development of Nayala Road from Kanota Stand to Nayala, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Balaji Construction Co. को " Development of Nayala Road from Kanota Stand to Nayala, JDA, Jaipur." हेतु जारी कार्यादेश रूपये 7,27,26,855/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-13B
21	175.21	Const. of Main 48 Mtr. wide scheme B.T. road in Pitambara Nagar Scheme Zone-13B, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Balaji Construction Co. को " Const. of Main 48 Mtr. wide scheme B.T. road in Pitambara Nagar Scheme Zone-13B, JDA, Jaipur." हेतु कार्यादेश रूपये 4,24,93,967/- की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-13B
22	175.22	Agenda Regarding Approval of Tender for the work : Various Development work in Chomu Phase-I Area, Zone-13A, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Ved Prakash Contractor को " Tender for the work : Various Development work in Chomu Phase-I Area, Zone-13A, JDA, Jaipur." हेतु कार्यादेश रूपये 3,39,68,439/- की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-13A
23	175.23	विज्ञापन नीति के तहत निविदा सूचना और नीलामी के विज्ञापनों में संशोधन की कार्यवाही समिति से कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् विज्ञापन नीति के तहत निविदा सूचना और नीलामी के विज्ञापनों में संशोधन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ऐजन्डा के बिन्दु संख्या क से ङ तक के कार्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
24	175.24	Const. of Main160 feet wide scheme B.T. road in	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Balaji Construction	Executive Engineer- 13-B

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		Kalpana Nagar Scheme, Zone 13-B, JDA, Jaipur	Co. को " Const. of Main 160 feet wide scheme B.T. road in Kalpana Nagar Scheme, Zone 13-B, JDA, Jaipur" हेतु कार्यादेश रूपये 5,96,52,875/- की स्वीकृति प्रदान की गई।	
25	175.25	पुनरीक्षित वेतमान, 2008 के लिए पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र में संशोधन हेतु पुनः विकल्प पत्र मांगे जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् पुनरीक्षित वेतमान, 2008 के लिए पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर वर्तमान में हानि होने के कारण ऐसे प्रकरणों में उन अधिकारियों /कर्मचारियों से पुनः विकल्प पत्र मांगे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
26	175.26	श्रीमती प्रणीता जैन, सहायक के पति श्री राजेश कुमार जैन का प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये ईलाज पर व्यय हुई राशि के पुनर्भरण, की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती प्रणीता जैन, सहायक के पति श्री राजेश कुमार जैन का प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये ईलाज पर व्यय हुई राशि 45,610.68/- (अक्षरे पैंतालीस हजार छः सौ दस रूपये, अड़सठ पैसे मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
27	175.27	Agenda regarding approval of tender for the work of " Construction of Jaipur International center, near OTS, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Laxmi Naryan Agarwal को " Tender for the work of " Construction of Jaipur International Center, near OTS, Jaipur." हेतु कार्यादेश रूपये 27,85,71,190.90 पैसे की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-(Project-7)
28	175.28	Widening, Strengthening & renewal of road in project-I Area- Part-B (Rate Contract)	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Gawar Construction Ltd. को " Widening, Strengthening & renewal of road in project-I Area- Part-B (Rate Contract)" हेतु कार्यादेश रूपये 13,03,53,157/- की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-(Project-I)
29	175.29	उपनिदेशक (विधि) के 1 पद को संयुक्त निदेशक (विधि) के पद को क्रमोन्नत करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् श्री भुपेन्द्र कुमार शर्मा उपनिदेशक (विधि) के दिनांक 28.02.13 को सेवानिवृत्त होने के कारण उन्हे व्यक्तिगत पदोन्नति दिए जाने के लिए उपनिदेशक (विधि) के एक पद को वर्तमान पद (वेतन पे बैंड 15,600–39,100, ग्रेड पे 7,200/–) के उच्च पद संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतन पे बैंड 15,600–39,100, ग्रेड पे 8,200/–) में अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2013 तक क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय की स्वीकृति Rapsar Act. के अर्न्तगत राज्य सरकार से प्राप्त करने के निर्देश दिऐ गऐ।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
30	175.30	Widening, Strengthening & renewal of road in project-I Area- Part-A (Rate Contract)	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार M/s Gawar Construction Ltd. को " Widening, Strengthening & renewal of road in project-I Area- Part-A (Rate Contract)" हेतु कार्यादेश रूपये 13,17,71,084/- की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer-(Project-I)
31	175.31	कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्डों सी–118, एच–146, ई–233, जी–292, एच–216, सी–114, ई–150, ई–334, एफ–124, ए–143, ई–327, आई–123, डी–144, ई–528 एवं बी–129 में विलम्ब अवधी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की है अतः प्रकरण नियमितीकरण हेतु विस्तृत सूचना के साथ राज्य	उपायुक्त जोन–13

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			सरकार को प्रेषित किया जावें। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू–निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 को प्रातः 12.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री विष्णु चरण मल्लिक	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री जे.बी. जाखड	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री संजय वागमारे	प्रबन्धक योजना	रिको लि. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री के.एल. बैरवा	निदेशक अभियान्त्रिकी	आर टी डी सी, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री विनय शर्मा	अधि. अभि. (सीडी 4)	जयपुर विद्युत वितरण निगम प्रा.लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9	श्री ओ.पी. गुप्ता	अति. आयुक्त (प्रशासन) एवं भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री वी.एस. सुन्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री जी.एम. गुप्ता	अधिक्षण अभियन्ता-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री टी.के. शर्मा	अधिक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट-2)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री संजय जैन	उपायुक्त (जोन-13)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री वी.के. सक्सैना	अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट-7)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री सुनिल व्यास	अधिशाषी अभियन्ता-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री संजय नाथावत	अधिशाषी अभियन्ता-13बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री राजेश पाल	अधिशाषी अभियन्ता-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री रामप्रसाद	अधिशाषी अभियन्ता-13डी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (ऐसे.एम)/2013/डी– 302 दिनांक: 14/2/13

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर